केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका
नई दिल्ली - 110067.
******

प्रथम अपील सं. CICOM/A/2019/60056 दिनांक: 08.04.2019
संदर्भ संचिका सं. CICOM/R/2019/80023

अपीलकर्ता : मो0 नहीमपाशा,
तलंगाना ।

निर्णय की तारीख: 08.04.2019

ऑनलाइन आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	02.04.2019
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	03.04.2019
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी का नाम	श्री अशोक कुमार असीजा
ऑनलाइन प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	04.04.2019

1. अपीलकर्ता द्वारा ऑनलाइन आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से द्वितीय अपील आदेश सं. CIC/OTCLC/A/2018/633496 के अनुपालन संबंधित सूचनाएं मांगी गई थी, जिसके प्रतिउत्तर में श्री अशोक कुमार असीजा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना के विरुद्ध प्रथम अपील दाखिल की गई है ।

2. संबंधित संचिका (प्रथम अपील आवेदन एवं आर.टी.आई. आवेदन) का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलकर्ता द्वारा उक्त आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से द्वितीय अपील आदेश सं. CIC/OTCLC/A/2018/633496 के अनुपालन से संबंधित सूचनाएं मांगी गई थी । द्वितीय अपील आदेश के अनुपालन में आयोग के जन सूचना अधिकारी द्वारा केवल संबंधित कार्यालय से प्राप्त दस्तावेज ही अपीलकर्ता को उपलब्ध करवाना अपेक्षित है, जो कि श्री अशोक कुमार असीजा द्वारा अपीलकर्ता को प्रदान कर दी गई है । उक्त परिप्रेक्ष्य में श्री अशोक कुमार असीजा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना बिल्कुल तथ्यानुसार है एवं इसमें प्रथम अपीलीय अधिकारी के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है । यदि अपीलकर्ता संबंधित विभाग द्वारा उपलब्ध करवाए गए दस्तावेजों से संतुष्ट नहीं हैं तो वे संबंधित सूचना आयुक्त को पत्र लिख सकते हैं ।

3. तद्नुसार अपील निस्तारित की जाती है ।

4. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश/निर्णय से संतुष्ट न हों तो अधिनियम की धारा 19 (3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली - 110067 में की जा सकती है ।

(आर. के. सिंह)
अपर सचिव एवं
प्रथम अपीलीय अधिकारी
दूरभाष - 011-26162290

प्रतिलिपि :

1. केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।
2. श्री अशोक कुमार असीजा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, सूचना आयुक्त - वी.एन. कार्यालय, के.सू.आ. ।